



# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पी 3 सी-244, 245, सेक्टर-27, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक / 2016 / प्रवर्तन / 2201  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 02/02/2016

समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी /  
सहायक श्रम पदाधिकारी  
छत्तीसगढ़

विषय :- श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र मान्य किये जाने के संबंध में ।

—00—

विषयान्तर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की बैठक दिनांक 09.12.2016 में मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम कार्यालयों द्वारा श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में विदित हो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनयमन) नियम 2008 के नियम 272 (ख) (एक) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भवन कर्मकार संघ द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र, श्रम संगठनों द्वारा जारी नियोजन प्रमाण पत्र भी मान्य किया जावेगा ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियम के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

(सविता मिश्रा)

सचिव

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 02/02/17

पृ0क0 / बीओसी / प्रवर्तन / 2202-2204  
प्रतिलिपि:-

- 1 अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2 प्रमुख सचिव श्रम, छ0ग0 शासन श्रम विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित
- 3 श्रमायुक्त सह मुख्य निरीक्षक छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

(सविता मिश्रा)

सचिव

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मण्डल